अधिसूचना सं. 7/2014 [एफ. सं. 203/55/2012-आईटीए-II]/एसओ 415 (ई), दिनांक 22-1-2014

यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि संगठन, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, नई दिल्ली, (पैन - एएएलआई0055आर) को आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजन के लिए, आयकर नियम, 1962 (उक्त नियम) के नियम 5ग और 5ङ के साथ पठित, मूल्यांकन वर्ष 2012-2013 और उसके बाद से "विश्वविद्यालय कॉलेज और अन्य संस्थान" की श्रेणी में, अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न संस्थान के रूप में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है, अर्थात्:—

(*i*) अनुमोदित संगठन को भुगतान की गई राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;

(*ii*) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;

(*iii*) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों के संबंध में अलग खाता-बही रखेगा, उसमें अनुसंधान करने के लिए उपयोग की गई राशियों को दर्शाएगा, ऐसी बहियों का उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) की व्याख्या में परिभाषित लेखाकार से ऑडिट कराएगा और ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसे ऑडिट की रिपोर्ट उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी भरने की नियत तिथि तक आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को, जिसके क्षेत्राधिकार में मामला आता है, प्रस्तुत करेगा;

(*iv*) अनुमोदित संगठन को प्राप्त दान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशि का पृथक विवरण रखना होगा तथा लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति ऊपर उल्लिखित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

2. केंद्र सरकार अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठनः-

(*a*) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में निर्दिष्ट पृथक खाता बही बनाए रखने में विफल होता है; या

(*b*) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (*iii*) में निर्दिष्ट अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(*c*) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में निर्दिष्ट प्राप्त दान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग की गई राशियों का विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है; या

(*d*) अपनी अनुसंधान गतिविधियां चलाना बंद कर देता है या उसकी गतिविधियां वास्तविक नहीं पाई जाती हैं; या

(*e*) उक्त नियमों के नियम 5ग और 5ङ के साथ पढ़े गए उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (*ii*) के उपबंधों के अनुरूप और उनका अनुपालन करना बंद कर देता है।

■■